रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 108] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 1984/फाल्गुन 23, 1905
No. 108] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 1984/PHALGUNA, 23, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1984

शुद्धिपत्र

का. आ. 159(अ) :—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड-3, उप-खण्ड-(2) दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 में प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (वस्त्र विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 952(अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 में पृष्ठ 1 तथा 2 पर,

पृष्ठ 1 की पंक्ति 3 तथा 4 पर "जनवरी, 1984 के प्रथम दिवस से" के स्थान पर "उक्त अधिनियम के आरम्भ होने की तारीख से" पढ़िये ।

[फा. सं. 5/15/83-ई पी (टी एंड जे) 3]

जे. के. बागची, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

New Delhi, the 7th March, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 159(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce (Department of Textiles) No. S.O. 952 (E), dated the 31st December, 1983, published in the Gazette of India Extraordinary Part-II—Section 3-Sub-section (ii), dated the 31st December, 1983, at pages 2 and 3.

At page 2, in lines 3 and 4, for "with effect from the 1st day of January, 1984", read "with effect from the date of commencement of the said Act".

[F. No. 5|15|83-EP(T&J)III]

J. K. BAGCHI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984